

185

61

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल म.प्र. सदस्य ग्वालियर  
क्षेत्र रीवा जिला रीवा म.प्र.

R. 3077-11/12

निगरानी प्रकरण ----- /12



Rs. 20/-

R. 3077-11/12

- 1. जय राम प्रसाद तनय श्री रामसिया, ब्रा०
- 2. बालेन्द्र पिता जयराम प्रसाद, ब्रा० दोनो निवासी ग्राम कोलौरा/भरत

अधिवक्ता श्री भार के  
इंक्वेरीद्वारा उत्पन्न  
रीवा दि. 09-08-2012

थाना व तहसील सेमरिया जिला रीवा म.प्र. ----- आवेदक गण

बनाम

- 1. केदार प्रसाद तनय रामदास ब्रा० ✓
- 2. हरिमन तनय रामभजन ब्रा०, ✓
- 3. बालीक प्रसाद तनय काशी प्रसाद, ✓
- 4. कृष्णानन्दन तनय कृष्णप्रसाद ब्रा०, ✓
- 5. मुस० विद्यादेवी बेवा सूर्यमणि ब्रा०, ✓
- 6. रोहणी प्रसाद तनय सूर्यमणि ब्रा०, ✓
- 7. महेश प्रसाद तनय सूर्यमणि ब्रा०, ✓
- 8. गोकर्ण प्रसाद तनय रामकुशल प्रसाद ब्रा०,
- 9. दयानन्द तनय दौलतराम ब्रा०, ✓
- 10. संतोष प्रसाद ✓
- 11. सुसील प्रसाद, ✓
- 12. रामचरित्र, ✓
- 13. रामगोपाल, ✓

3/8/12

वारो के पिता स्व० रामाज्ज ब्रा० सभी निवासी  
ग्राम कोलौरा/भरत तहसील व थाना सेमरिया,  
जिला रीवा म.प्र. ----- आवेदक गण

निगरानी विरुद्ध आदेश माननीय अड० अि क्लररी महो०  
तहसील सिरमौर/ सेमरिया जिला रीवा म.प्र. के राज्य  
प्रकरण क्र० 66/अपील/अ/27 /10-11 आदेश दिनांक  
19.6.12, जिस अन्तर्गत आदेश के द्वारा माननीय  
नायक तहसीलदार सेमरिया के राज्य प्रकरण क्र०

निगरानी विरुद्ध

Account

12/12



(487)


(61)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-3077-डो/12 जिला राय

जय राम प्रसाद या विरुद्ध केदार प्रसाद या व अन्य

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>आर.के. दिव्ये</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील <u>खेमावा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>66/अपील/अ. 27/10-11</u> में पारित आदेश दिनांक <u>19-6-12</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>राय</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>25-3-19</u> को कलेक्टर <u>राय</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"> सदस्य</p>	



1.2/14वा/16

